12/2/2 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष एवं
उपस्थित आये। प्रार्थी के कथन बशुलाल को कहना है कि
प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र का सत्य है कि आ.व.नं. 641/284,
640/283 व 232 वाले ग्राम निकड़ी तहसील मुण्डावर जिला
अलवर (राज.) होकर आवागमन करते हैं जिनके काश्तकार होते हैं
व आ.व.नं. 224 में विपक्षी के 1/2 हिस्से चाहे घेरा कर राधा
कृष्ण बीज काटते हैं तथा व.नं. 225 के पश्चिमी उत्तरी सिरे पर
रास्ता स्थित है। अपार्थी की खेतदारी की होने वाला व.नं. 225
के उत्तरी छोर के कारण 20 फुट चौड़ा रास्ता की
प्रार्थिनी के खेत नं. 641/284 तक आवागमन हेतु आवश्यक
है। इन प्रार्थिनी उक्त रास्ते की कीमत का 500 डी.एल.सी.
पर देने को तैयार है आदि का निवेदन करते हुए 500 स्वीकार
कर रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार
प्रकार अपार्थी ने प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र के विरोध में आपत्ति
करते हुए अपना जवाब पेश किया है जिसके अनुसार व.नं. 284
प्रार्थी के नाम दर्ज किया है लेकिन व.नं. 284 के सम्पूर्ण रकबा
पर वैकल्पिक मुझ चौकाजा किया है तथा लगभग कब्जा
प्रार्थिनी व.नं. 283 सम्पूर्ण पर काबिज है व.नं. 224
में राधाकृष्ण बीज काटते हैं। व.नं. 225 स्थित होने के कारण अपार्थी
तरफ पश्चिम के व.नं. 225 स्थित होने के कारण अपार्थी
की आबादी भूमि है चार दिवारी आबादी की है। इसलिए
तरफ उत्तर पश्चिम के कोई रास्ता स्थित नहीं है तथा उक्त

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.08 10:10:42 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर हुक्म

ख.नं. 225 के तरफ उत्तर में ख.नं. 226 प्रार्थीगण के पैतृक मकान बने हुए आबादी स्थित है जिसके दक्षिण तरफ तथा तरफ पश्चिम में हकीमी रोड पर ख.नं. 282, 285 में से रास्ता दिये जाने पर आम 140 फुट लम्बाई की भूमि की आवश्यकता होगी तथा ख.नं. 225 में दिया तोड़ कर रास्ता दिये जाने पर भी कीब 320 फुट लम्बाई भूमि की आवश्यकता होगी साथ ही ख.नं. 225 के हिस्सेदारी मकान बने होने के कारण दावा अदालत मैकान के शोभाधिकार में काबिज है। आदि-आदि का निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी बयौज दिये जाने का निवेदन रहा। मुताबिक प्रार्थना पत्र नजीर तहसीलदार कुशलगढ़ के मौका रिपोर्ट चाही जाने पर जैसे दर्ज 54 दिनांक 04/8/15 अनुसार ख.नं. 598/284, 597/283 प्रार्थीगण के नाम दर्ज होना व 640/283, 641/284 दिगर काश्तकारों के नाम होकर राजस्व कक्षा के तसीमदी होना व मुताबिक बैंकर पत्रमान के ख.नं. 284 पर बेगचन्द पुत्र ओमकार का कब्जा तथा ख.नं. 283 पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त अंकित है तथा ख.नं. 283 के आवागमन हेतु ख.नं. 282 पूर्वी मेड़ से कम से कम भूमि लेकी होती है के वाकई दिनांक जाप्ता होकर मुश्किल पत्रावली है। वकील उभय पक्षगण की द.ए. के वाकई बहस अन्तिम सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली के प्रस्तुत दस्तावेजात एवं उपलब्ध विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय काबिल वाजिब पाता है।

आदेश

अतः उपलब्ध विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण काश्तकार आराजी नं. 641/284/0.11, 640/283/0.11 एवं 232/0.33 हेक्टेयर ग्राम तिनकिकड़ी तहसील कुशलगढ़ जिला अलवर (राज.) हेतु आराजी नं. 225 में से रास्ता बनाये जाने के वाकई की प्रार्थना पत्र वाजिब बयौज [illegible] स्वीकृत किये जाने के वाजिब की जाती है। पत्रावली नस्तीबद्ध हो। नकल के मुताबिक वास्ते तहसीलदार जिला अलवर लेख कराई हो। कुनाया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकृत स्वीकृत निर्णय का अमिस्त्र कार्य रहेगा।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Signature Not Ve
Digitally signed by Ra
Rajawat
Date: 2021.03.08 10:
Reason: SelfAttested